प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद– कौशाम्बी।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 / 4314 दिनांक 16.08.2019

विषयः राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जुलाई, 2019 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2019 से 24.07.2019 को राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जनपद कौशाम्बी के चिकित्सकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उनका निराकरण शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद कौशाम्बी।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक, अनुभागाध्यक्ष एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 उ0प्र0।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद– कौशाम्बी।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 / दिनांक 16.08.2019

विषयः राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जुलाई, 2019 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 22.07.2019 से 24.07.2019 को राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जनपद कौशाम्बी के चिकित्सकीय इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। स्थलीय पर्यवेक्षण के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान दृष्टिगत बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये अपने जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उनका निराकरण शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 / 4314–6 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद कौशाम्बी।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक, अनुभागाध्यक्ष एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 उ0प्र0।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(थमीम अंसरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

जनपद– कौशाम्बी

दिनांक– 22.07.2019 से 24.07.2019

पर्यवेक्षक–

1. डा0 वेदप्रकाश, महाप्रबन्धक (आर0आई0 एण्ड सी0एच0)/मण्डलीय नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
2. इ0 रनधीर सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
3. श्री आर0एस0 चौरसिया, स्टेट कंसल्टेन्ट, (क्वालिटी एश्योरेन्श), क्यू0ए0 अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. श्री सान्तनु लाल गुप्ता, ऑडिट ऑफिसर, वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई/2018–19/18/ दिनांक .07.2019 में प्रदत्त निर्देशानुसार उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 22.07.2019 तथा 24.07.2019 को जनपद कौशाम्बी के निम्नांकित चिकित्सा इकाइयों/सामुदायिक स्तर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया गया–

- दिनांक 22.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कडा का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 23.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय का पर्यवेक्षण किया गया।
- दिनांक 24.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधीनगर मंझनपुर तथा वी0एच0एन0डी0 सत्र, गडारियन एवं सोखदा (बजाहा उपकेन्द्र के अन्तर्गत) मूरतगंज का पर्यवेक्षण किया गया।

दिनांक	प्रमुख कमियॉ	अपेक्षित कार्यवाही
प्रथम दिवस दिनांक 22.07.2019	**समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कडा** • मुख्य सड़क से चिकित्सा इकाई की सम्पर्क सड़क अत्यन्त सकरी तथा केन्द्र के आस–पास जल भराव था। • वार्ड में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति (इनवर्टर एवं जनेटर) नहीं थी। • 30 शैय्यायुक्त एम0सी0एच0 विंग में मानव संसाधन एवं उपकरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्णतः कियाशील नहीं है। उपलब्ध संसाधनों से ही संचालित किया जा रहा है • टिकाकरण का माइको प्लान नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है। हेपेटाइटिस–बी वेकसीन की उपलब्धता गत कुछ दिनों से नही है। • कोल्ड चैन हैण्डलर के इनसेटिव का भुगतान अप्रैल माह से नहीं हुआ। • चिकित्सा अधिकारी को एच0एम0आई0एस0 के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात नही है। • वी0एच0एन0डी0 पर्यवेक्षण की कोई योजना उपलब्ध नही थी। • नियमित टीकाकरण सम्बन्धित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त उपलब्ध नही थे। • चिकित्सा अधिकारी तथा बी0सी0पी0एम0 द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में रुचि नही ली जा रही है। • एन0बी0एस0यू0 क्रियाशील नहीं है। एन0बी0एस0यू0 में मात्र एक स्टॉफ नर्स तैनात है। • पेय जल की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया है।	• स्थानिय प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क करके सड़क निर्माण एवं जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाये। • वार्ड में इनवर्टर एवं जेनरेटर का कनेक्सन सुनिश्चित किया जाये तथा विद्युत कटौती होने पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। • उपकरणों के क्रय एवं मॉग करके एम0सी0एच0 विंग की क्रियाशीलता शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। • निर्धारित प्रारूप पर टीकाकरण माइक्रोप्लान बनाना सुनिश्चित किया जाये। एम0ओ0 द्वारा नियमितरूप से एच0एम0आई0एस0 पर इन्ट्री सुनिश्चित की जाये। • वी0एच0एन0डी0 पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायी जाये।

- माह जून में कुल 180 सामान्य प्रसव हुये, जिनमें से 01 नवजात Still Birth हुई। लेबर रूम की जोनिग नहीं की गयी है। बायोलॉजिकल इन्डीकेटर का उपयोग ऑटोक्लेविन में नही किया जा रहा है।
- आई0ई0सी0 / समस्त प्रोटोकाल पोस्टर की कमी पायी गयी।
- PNC Ward 04 बेड का है। वार्ड से अटैज शौचालय में सीस्टर्न क्रियाशील नहीं था।
- जनपद स्तर से सेवा प्रदाता चिन्हित न होने के कारण क्लीनिंग और स्वीपिंग की सुविधा उपलब्ध नही है।

वित्त से सम्बन्धित

- इकाई पर लिपिक की तैनाती न होने के कारण आई0ओ0 के द्वारा वैकल्पिक रूप से कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण वित्तीय कार्यों मे कठिनाईयॉ हो रही है।

1. जे0एस0वाई0 चेक निर्गत रजिस्टर उचित प्रारुप पर तैयार नहीं किया गया एवं रजिस्टर की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

(i). जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

Date of Payment /Credit	Beneficiary Name	S.No (Payment)	Amount (In Actuals)	Beneficiary Type	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
29/05/2019	manisha	1	1,400.00	Mother	13088100007542	BANK OF BARODA
04/07/2019		2	1,400.00	Mother	13088100007542	BANK OF BARODA
28/05/2019	shunita	1	1,400.00	Mother	53020100014150	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
04/07/2019		2	1,400.00	Mother	53020100014150	BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

2. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 24.07.2019 **(4 माह)** तक की कैश बुक तैयार नही की गयी है। जोकि एक गंभिर वित्तीय अनियमितता का घोतक है।
3. कैशबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 30.06.2019 **(3 माह)** माहवार बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किया जा रहा है।
4. पी0एफ0एम0स0 रजिस्टर निर्धारित मानक के अनुसार नहीं रखा गया है।
5. वाउचर यथोचित सर्पोटिंग्स के साथ क्रम से पत्रावली में अभिरक्षित नहीं किये जा रहे हैं।

- एन0बी0एस0यू0 के रडिएन्ट वार्मर को स्थापित करके, उपयोगिता सुनिश्चित किया जाये।
- पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण, जल संस्थान को सैम्पल भेजकर 6 माह में एक बार अव''य करा ली जाये।
- लेबर रूम की मानकानुसार 4 जोर की मार्किग की जाये तथा ऑटोक्लेविंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु केमिकल इंडीकेटर्स के क्रय का करके उपयोग किया जाये।
- सभी कार्यक्रमों की आई0ई0सी0 निर्धारित प्रोटाइप प्रिन्ट करके आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में प्रदर्शित किया जाये।
- शौचालय के सिस्टर्न को ठीक कराकर, शौचालय में जल आपूर्ति एसं स्वच्छता सुनिश्चित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से लिपिक की तैनाती अथवा सप्ताह में कुछ दिन किसी लिपिक की ड्यूटी लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

6. मै0 शिवम इन्टरप्राइजेज एण्ड ट्रैवल्स का चयन आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत गाड़ियों के अनुबन्ध के लिये किया गया है जिसके भुगतान में निम्नलिखित कमियां थीं:-

(i). गाड़ियों का भुगतान अपूर्ण लॉग बुक एवं बिना जी0पी0एस0 रिपोर्ट लगाये बिल पर हो रहा है। जबकि भुगतान नियमानुसार लॉग बुक एवं जी0पी0एस0 ट्रैकिंग रिपोर्ट के आधार पर करना है।

(ii). यदि वाहन माह में एक हजार किलोमीटर से कम चलता है तो उसका भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाये।

7. रजत इन्टरप्राइजेज से विविध समाग्री खरीदी गयी है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :-

(i). फर्म का चयन बिना टेंडर या कोटशन के आधार पर किया गया है।

(ii) फर्म को दिये गये कार्यादेश में डिस्पैच न0 अंकित नहीं था जिससे स्पष्ट होता है कि क्रय आदेश 'By hand' दिया गया है।

(iii) रजत इंटरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत बिल में टिन न0 094137047855 अंकित किया गया ळें जबकि 01 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागु कर दिया गया है एवं जी0एस0टी0 के अर्न्तगत टैक्स इन्वाइस इश्यु करना अनिवार्य है एवं बिल पर जी0एस0टी0 न0 का होना भी अनिवार्य है अतः प्रथम दृश्या फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल अवैध प्रतीत होता है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में फर्म द्वारा लगभग 5 लाख के उपर की आपूर्ति की गयी है। जिसके सम्बन्ध में केवल कुछ बिल ही प्रस्तुत किये गये हैं। लिये सामान कि कोई स्टाक बुक इन्ट्री नहीं कि गयी है।

उक्त फर्म को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में विस्तृत जांच आवश्यक है।

8. मै0 अंश इंटरप्राइजेज को जे0एस0एस0के0 डाइट के सम्बन्ध में निम्न कमियां पाई गई हैं।

(i) फर्म के चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(ii) फर्म का FSSAI रजिस्ट्रेशन तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नहीं था।

(iii) बिलों का भुगतान बिना डाइट चार्ट के मिलान के दिये गये बिलों के आधार पर किया जा रहा है जिसे बिलों में अतिरिक्त भुगतान हो रहा है।

(iv) फर्म को 2018–19 तथा 2019–20 में लगभग 4 लाख का भुगतान किया गया है।

द्वितीय दिवस दिनांक 23.07. 2019	**<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीराथू</u>** • सर्वेष पाण्डेय, बी0पी0एम0, चिकित्सा इकाई में अक्सर अनुपस्थित रहते है, जिससे चिकित्सा इकाई के कार्यों में बाधा पहुँच रही है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा दो बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को सूचित किया गया, परन्तु उक्त कार्यवाही नही की गयी। • डा0 अकबर आलम अंसारी, गत 02 वर्षो से अनुपस्थित है। • चिकित्सालय में तैनात अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी लम्बे समय तक अनुपस्थित रहते है। • चिकित्सा अधिकारियों को नियमित टीकाकरण की उपलब्धता के बारे में जानकारी नही थी एवं कार्यक्रम में कोई रुचि नही ली जा रही है। • नियमित टीकाकरण का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध नही था। • नियमित टीकाकरण/वी0एच0एन0डी0 का सुपरविज़न हेतु कोई प्लान उपलब्ध नही था। • कोल्ड चैन हैण्डलर थर्मोमीटर से तापमान देखने में स्वास्थ्य कर्मी असमर्थ थे। वैकसीन 0 ^{0}C पर पायी गयी। • वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति लेबर रूम, पैथोलॉजी एवं वार्ड में जनेरेटर का कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण मरीजों एवं सेवा प्रदाताओं को असुविधा होती है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है प्रसव के बाद महिलायें अंधेरे में असज स्थिति में भर्ती थी। • ए0एन0सी0 वार्ड/प्री डिलीवरी रूम नहीं है। • LSCS गत 02 वर्षो से नहीं हो रहा है। • नये 40 ए0एन0एम0 को पुरानी ए0एन0एम0 के साथ सहायक के रूप में कार्य कराया जा रहा है तथा अभी कार्य आवंटित नही किया गया है। • आर0बी0एस0के0 में 01 एम0ओ0 का पद रिक्त था। आर0बी0एस0के0 की टीम क्षेत्र में नही गयी थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक हेतु बुलाया गया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा इस बात से इन्कार किया गया कि आर0बी0एस0के0 के सभी सदस्यों को किसी भी बैठक हेतु नही बुलाया गया है। • आई0ई0सी0 एवं समस्त प्रोटोकाल पोस्टर का समुचित प्रदर्शन नहीं पाया गया। • कुछ नर्सो द्वारा बी0एच0टी0 मे समस्त सूचनाये रजीस्टर में अंकित नही किया जा रहा है। **<u>वित्त अनुभाग से सम्बन्धित</u>** **1.** जे0एस0वाई0 चेक निर्गत रजिस्टर उचित प्रारुप पर तैयार नहीं किया गया एवं रजिस्टर की स्थिति दयनीय बनी हुई है। 1. ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 30.06.2019 **(3 माह)** माहवार बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किया जा रहा है। 2. पी0एफ0एम0स0 रजिस्टर निर्धारित मानक के अनुसार नहीं रखा गया है। 3. वाउचर यथोचित सर्पोटिंग्स के साथ क्रम से पत्रावली में अभिरक्षित नहीं किये जा रहे हैं। 4. जनरेटर लाग बुक नहीं बनायी गयी है। 5. जनरेटर का कनेक्शन स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं होने के बाद भी जनरेटर डीजल का भुगतान किया जा रहा है जो कि वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।	• BPM की संविदा समाप्त हेतु जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्ताव रखकर कार्यवाही पूर्ण की जाये। • डा0 अकबर आलम अंसारी को लगातार अनुपस्थित हेतु शासन को अवगत करा दिया जाये। • सभी आवश्यक स्थानों पर तत्काल लेबररूम एवं वार्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। • प्रसव पूर्व वार्ड LANC वार्ड की व्यवस्था अलग की जाये। • शौचालय में पाइप सिटर्न को ठीक कराकर, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाये। • टीम के माध्यम से LSCS (elective) कराया जाये। • डेण्टल चेयर को ठीक कराया जाए तथा लम्बे समय से डेण्टल चेयर को ठीक न कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करायी जाए। • नवनियुक्त ANM को स्वतन्त्र रूप से कार्य कराया जाये। • मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा HRP हाई रिश्क ट्रेकिंग हेतु अलग रजिस्टर बनाया जाये तथा फालोअप किया जाये। • सभी कार्यक्रमों की IECI प्रोटोकाल्स की प्रिटिंग कराकर BHT केसशीट में सभी प्रासंगिक कॉलम भरना सुनिश्चित किया जाये। नर्स मेण्टर के द्वारा आव”यक सहयोग प्रदान किया जाये।

द्वितीय दिवस दिनांक 29.05. 2019	<u>जिला संयुक्त चिकित्सालय</u> • 100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग पूर्णतः क्रियाशील नहीं है। केवल ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम तल को ही उपयोग में लाया जा रहा है। • जिला संयुक्त चिकित्सालय के पूरे कैप्पस में जलभराव था। • लेबररूम में एक रेडियन्ड वार्मर खराब था। स्टॉफ नर्स ने बताया बार–बार ठीक करने के बाद भी अक्सर खराब हो जाता है। जिसके मरम्मत हेतु वेन्डर द्वारा रु0 13000 हजार की डिमान्ड की गयी। • आक्सीटोसिन की आपूर्ति नियमित नहीं है। • वार्ड में सभी प्रोटोकाल (लैब कलेक्शन सेन्टर, स्पेशियल किट) नहीं लगी हुयी थी। • स्ट्रेलाइजेशन खराब था। • फीटल डॉपलर एक माह से खराब था। • लिक्वीड हेण्डवास एवं सेनेटाइजर की प्रयाप्त आपूर्ति नहीं पायी गयी। • ओ0टी0 एवं लैब की एम0सी0एच0 विंग में कोई व्यवस्था नही थी। • 16 डिलीवरी सेट की आवश्यकता पायी गयी, जिसमे से वर्तमान में केवल 01 ही उपलब्ध थी। • एस0एन0सी0यू0 अच्छी स्थिति में क्रियाशील था। एस0एन0सी0यू0 के 12 शैय्यों के अतिरिक्त 06 शैय्या Step down में उपलब्ध है। In born एवं Out born रोगियों के लिये अलग वार्ड है। • प्रत्येक नवजात शिशु को Early Breast Feeding हेतु सराहनीय प्रयास किये जा रहे थे। NRC शत प्रतिशत शैय्यो पर लाभार्थी थे तथा कार्य संतोषजनक था। **<u>वित्त से सम्बन्धित जे0एस0वाई 0:–</u>** नमूना जाँच के आधार पर जननी सुरक्षा योजना की लेखा पुस्तकों का परीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये :– ❖ जे0एस0वाई0 डायट रजिस्टर उचित प्रारुप पर तैयार नहीं किया गया एवं रजिस्टर की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ❖ जननी सुरक्षा योजना फार्म अपूर्ण भरे जा रहे हैं एवं अधिकांश का कोई आई0डी0 प्रूफ नहीं लिया जा रहा है। ❖ कैशबुक एवं बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ससमय दैनिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। ❖ मासिक बैंक समाधान विवरण में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है। **<u>आर0के0एस0:–</u>** ➢ आर0के0एस0 का आडिट वित्तीय वर्ष 2018–19 से नहीं कराया गया है।	• उपकरण मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए MCH विंग को यथाशीघ्र पूर्णतयः क्रियाशील किया जाये। • रेडियण्ट वार्मर को ठीक कराकर अथवा नया वार्मर स्थापित करके उपयोग सुनि''चत किया जाये। • ऑक्सीटोसिक की पर्याप्त इण्डेटिंग एवं आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। • SBA के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रोटोकाल्स को मानकानुसार प्रदर्शित किया जाये। • फीटल डॉप्लर को शीघ्र रिपयर कराया जाये। • डिस्इनफेक्टेड की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाये। • पर्याप्त डिलवरी किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

तृतीय दिवस दिनांक 24.07. 2019	**वी0एच0एण्ड डी0 सत्र, सोखदा एवं गडरियन तथा मुरतगंज** **वी0एच0एण्ड डी0 सत्र, सोखदाः** • सत्र स्थल पर आगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा बच्चों का वनज नहीं लिया जा रहा था तथा बच्चों का ग्रोथ–चार्ट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। • ए0एन0एम0 के पास मीजोप्रोस्टाल टेबलेट उपलब्ध नहीं था। • आशा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाभार्थियों से धनराशि ली जाती है, जिसके कारण क्षेत्र के अधिकांश प्रसव शहर के निजी चिकित्सालयों में होते है। उपस्थित आशा के क्षेत्र में कुल 8 प्रसव में से 02 ही प्रसव सरकारी चिकित्सालय में हुए। • संज्ञान में आया है कि लाभर्थियों से ड्रॉप बैक के दौरान धनराशि भी ली जाती है।	• ऑगनवाडी द्वारा ग्रोम चार्ट रजिस्टर एवं सत्र स्थल पर वनज किये जाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर से सम्पर्क करके सुनिश्चित कराया जाय। • घरेलू प्रसव में प्रसूताओं हेतु मीजो प्रोटेवल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। • अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित स्टॉफ नर्स एवं संबधित कर्मिकों व्यवहार सुधार हेतु चेतावनी पत्र निर्गत किया जाए।
	पी0एच0सी0 मूरतगंज • एन0बी0एस0यू0 हेतु उपलब्ध कराये गये रेडियन्ट वार्मर को अन्य पी0एच0सी0 में स्थानान्तित कर दिया गया था। 8 स्टॉफ नर्स उपलब्ध होते हयु भी एन0बी0एस0यू0 नियमानुसार स्थापित नही है। • 19 मीं एन0एन0एम0 की नियुक्ति हुयी है, परन्तु उनसे स्वतंत्ररूप से कार्य नही लिया जा रहा है। • नियमित टीकाकरण हेतु समीक्षा बैठकों में कमियों एवं सुधार के सम्बन्ध में चर्चा नही की जा रही है।	• 15 दिवसों के भीतर एन0बी0एस0यू0 पूर्णरूप से स्थापित कर संचालित करना सुनिश्चित करें। • ए0एन0एम0 को कार्य एवं क्षेत्र का आवंटन तत्काल करना सुनिश्चित करें।
	अरबन पी0एच0सी0 गाँधी नगर मंझनपुर • एम0ओ0 का सूचित करने के उपरान्त भी चिकित्सा इकाई पर उपस्थित नही थे। बार–बार दूरभाष पर सम्पर्क करने के उपरान्त ही उपस्थित हुये। • फर्मासिष्ट के द्वारा मरीजो को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही थी। • चिकित्सा इकाई के अन्दर कर्मचारियों द्वारा गार्डियां पार्क की जा रही थी। • आई0सी0 पोस्टर उचित स्थानों पर नही पाये गये।	• मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एम0ओ0 के बारे मे बैठक में सूचित किया गया। • फार्मासिष्टों के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराना उचित नही है। यह सुनिश्चित किया जाय की चिकित्सकों के द्वारा ही देखा जायें।
	जिला वैक्सीन स्टोर कौशाम्बी • एस0आई0एल0आर0 एवं डीप फ्रीज़र क्रियाशील नही थे तथा मरम्मत की आवश्यकता थी। • अन्य 15 उपकरणों को निष्प्रयोज्य किये जाने है, परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की जा रही है। • जनपद में रिफ्रेजिरेटर मकैनिक तैनात नही है।	• उपकरणें की मरम्मत तत्काल कराई जाये तथा निष्प्रयोज्य किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। • प्रयागराज के रिफ्रेजिरेटर मकैनिक का सहयोग प्राप्त किया जाये। इस संबंध में अपर निदेशक प्रयागराज मण्डल से वार्ता की गयी।

01. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय (वित्त से सम्बन्धित)

क्रम संख्या	लेखा पुस्तक का नाम	विवरण
1.	मैनुअल कैशबुक	(A) वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 24.07.2019 **(4 माह)** तक की किसी भी कार्यक्रम की कैश बुक तैयार नही की गयी है। जोकि एक गंभिर वित्तीय अनियमितता का घोतक है। कैशबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, जिला लेखा प्रबन्धक तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी/ अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाना किया जाना अपेक्षित (B) समस्त कार्यक्रमों की डबल कॉलम कैशबुक तैयार किया जाना अनिवार्य है। (C) कैशबुक व अन्य लेखों को वर्षवार अलग–अलग पुस्तकों में रखा जाय।
2.	पी0एफ0एम0स0 रजिस्टर	(A.) पी0एफ0एम0स0 रजिस्टर निर्धारित मानक के अनुसार नहीं रखा गया है। (B.) जमा धनराशियों का कोई ब्योरा दर्ज नहीं की गयी है। (C.) अवशेष धनराशि का विवरण नहीं प्रदर्शित किया गया है। (D.) अधिकतर प्रकरण में संक्षिप्त विवरण ही अंकित की गयी है।
3.	बैंक रिकन्सलेशन	वित्तीय वर्ष 31.04.2019 से 30.06.2019 **(3 माह)** तक का बैंक समाधान विवरण किसी भी कार्यक्रम का तैयार नहीं किया जा रहा है।
4.	वाउचर सिस्टम	वाउचर यथोचित सर्पोटिंग्स के साथ पत्रावली में अभिरक्षित नहीं किये जा रहे हैं।
5.	त्रैमासिक वित्तीय विवरण	वित्तीय वर्ष 1.04.2019 से 30.06.2019 **(3 माह) का** त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है, इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।
6.	स्थायी सम्पत्ति	तैयार नहीं किया गया है, इसे तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।

	रजिस्टर	
7.	कार्यवृत्त रजिस्टर	जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों से सम्बन्धित कार्यवृत्त रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है।
8.	**स्रोतों पर आयकर की कटौती**	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न (वित्तीय वर्ष 31.04.2019 से 30.06.2019 **(3 माह)** फाईल किया जाना अपेक्षित है।

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद कौशाम्बी को चिकित्सा इकाईयों पर भ्रमण मे पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया तथा अपेक्षा की गयी कि अपने स्तर से चिकित्सा इकाईयों पर सुधारात्मक कार्यवाही करके दिनांक 24.07.2019 को समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, जनपद स्तरीय अधिकारियों तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इगित कमियों से अवगत कराया गया तथा सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये एवं मार्गदर्शन किया गया।

Shantanu Gupta.

सान्तनु लाल गुप्ता,
ऑडिट ऑफिसर,
एन0एच0एम0, लखनऊ।

आर0एस0 चौरसिया,
स्टेट कंसल्टेन्ट, (क्वालिटी एश्योरेन्श),
एन0एच0एम0, लखनऊ।

इ0 रनधीर सिंह,
सहायक अभियन्ता,
एन0एच0एम0, लखनऊ।

डा0 वेदप्रकाश, महाप्रबन्धक
(आर0आई0 एण्ड सी0एच0)/
मण्डलीय नोडल अधिकारी,
एन0एच0एम0, लखनऊ